बिहार विद्युत विनियामक आयोग

विद्युत भवन– II, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना–800 021

प्रेस विज्ञप्ति

पटना, दिनांक : 01.03.2024

पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुर्नगठन के उपरांत दिनांक 01.11.2012 के प्रभाव से दो वितरण कंपनियॉ यथा नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एन.बी.पी.डी.सी.एल) एवं साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एस.बी.पी.डी.सी.एल) स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया तदोपरांन्त आयोग दोनों कंपनियों का विद्युत दर (Tariff) आदेश वित्तीय वर्ष 2013–14 से पारित करते आ रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु दोनों वितरण कंपनियों ने टैरिफ याचिका दिनांक 14.11. 2023 को आयोग में समर्पित किया। चूंकि टैरिफ निर्धारण संबंधी नियम, सिद्धांत, मापदंड एवं विषय–वस्तु एक ही प्रकार के हैं, अतः इस वर्ष भी आयोग द्वारा दोनों वितरण कंपनियों के लिए एक ही टैरिफ आदेश पारित किया जा रहा है।

2. टैरिफ याचिका (Tariff Petition) को सुनवाई हेतु स्वीकृत करने के उपरांन्त आयोग ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग (मल्टी ईयर डिस्ट्रीब्यूशन टैरिफ) विनियमावली, 2021 के प्राविधान के अंतर्गत व्यापक रूप से परामर्श प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न समाचार पत्रों एवं वेबसाईटों पर याचिका की संक्षिप्त विवरणी प्रकाशित कर हितधारकों एवं आम–उपभोक्ताओं से सुझाव/आपत्ति एवं मंतव्य प्राप्त किया। आयोग ने इस प्रयोजनार्थ नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं साउथ पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की संबंधित याचिकाओं पर सासाराम, बिहारशरीफ, मोतिहारी, पूर्णिया एवं आयोग के न्यायालय कक्ष, पटना में जन–सुनवाई सम्पन्न किया, जिसमें काफी जनभागीदारी रही तथा आयोग के समक्ष लिखित एवं मौखिक रूप से बहुमूल्य सुझाव/मंतव्य एवं आपत्ति प्राप्त हुए। उक्त सुझावों/मंतव्यों एवं आपत्तियों पर दोनों कंपनियों की प्रतिक्रिया भी प्राप्त की गयी।

3. आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 एवं उसके आलोक में निर्गत BERC(मल्टी ईयर डिस्ट्रीब्यूशन टैरिफ) विनियमावली, 2021 में उल्लिखित प्राविधानों के अंतर्गत टैरिफ याचिका में दोनों कंपनियों द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर आम नागरिकों तथा हितधारकों से प्राप्त सुझावों/मंतव्यों एवं आपत्तियों एवं उस पर दोनों कंपनियों से प्राप्त प्रतिक्रिया पर गहन जाँच कर आज दिनांक 01.03.2024 को दोनों वितरण कंपनियों के लिए समान आदेश निर्गत किया जा रहा है।

इस टैरिफ आदेश का संक्षेप निम्नवत् हैः–

- दोनों वितरण कंपनियों द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक बिहार में लगभग 1.90 करोड़ विद्युत उपभोक्ता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 के लिए अनुमानित उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः 1.99 करोड़ एवं 2.08 करोड़ है।
- अंकेक्षित लेखा विवरणी के अनुसार दोनों वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 29709.49 एम.यू. ऊर्जा का विक्रय किया है। दोनों वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में क्रमशः कुल 33436.98 एम.यू. एवं 36614.14 एम.यू. ऊर्जा विक्रय करने का प्रस्ताव दिया है।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए एन.बी.पी.डी.सी.एल ने ₹ 1661.46 करोड़ राजस्व अंतर सहित ₹17405.11 करोड़ एवं एस.बी.पी.डी. सी.एल ने ₹624.74 करोड़ के राजस्व अधिशेष सहित ₹17898.56 करोड़ सकल राजस्व की आवश्यकता (ARR) का प्रस्ताव दिया था।

  इसप्रकार दोनो वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कुल ₹1036.72(1661.46-624.74) करोड़ के राजस्व अंतर के साथ कुल ₹35303.67(17405.11+17898.56) करोड़ सकल राजस्व की आवश्यकता का प्रस्ताव दिया था। वितरण

कंपनियों ने वर्ष 2024–25 के लिए ऊर्जा शुल्क में वृद्धि कर उपर्युक्त राजस्व अंतर की वसूली का प्रस्ताव दिया था।

- वित्तीय वर्ष 2024–25 में ऊर्जा विक्रय से प्राप्त होने वाले राजस्व तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 के राजस्व अंतर/अधिशेष (कैरिंग कॉस्ट सहित) के समायोजन के उपरांन्त आयोग ने नियमों के आलोक में विस्तृत परीक्षण एवं विवेकपूर्ण जाँचोपंरान्त, एन.बी.पी.डी.सी.एल के लिए ₹246.82 करोड़ राजस्व अंतर सहित कुल ₹16079.30 करोड़ एवं एस.बी.पी.डी. सी.एल के लिए ₹1860.94 करोड़ राजस्व अधिशेष सहित कुल ₹16661.84 करोड़ सकल राजस्व आवश्यकता (ARR) को अनुमोदित किया है।

  इस प्रकार आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कुल ₹32741.14(16079.30+16661.84)करोड़ संयुक्त सकल राजस्व आवश्यकता (ARR) एवं ₹1614.12 करोड़ सुयंक्त राजस्व अधिशेष (Surplus) अनुमोदित किया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए संचरण लागत के साथ एन.बी. पी.डी.सी.एल. एवं एस.बी.पी.डी.सी.एल. का औसत ऊर्जा क्रय दर ₹6.09/KWh है जबकि वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिएं वितरण कंपनियों का औसत आपूर्त्ति खर्च ₹9.04/KWh है।

- वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आयोग द्वारा एन.बी.पी.डी.सी.एल हेतु 14.55% एवं एस.बी.पी.डी.सी.एल हेतु 17.49% वितरण हानि (Distribution loss) निर्धारित किया गया है।

- आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा क्रय (RPO) का लक्ष्य कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल विक्रय की जाने वाली ऊर्जा का 29.91% निर्धारित किया है।

वितरण कंपनियों के टैरिफ आदेश की मुख्य विशेषताएँः–

विद्युत अधिनियम 2003, की धारा 61(g) के अनुसार, एवं समय–समय पर विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में आयोग ने यथासंभव लागत प्रतिबिंबित टैरिफ रखने का प्रयास किया है।

I. वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिएं टैरिफ में कुल 3.03% वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। वित्तीय वर्ष 2024–25 के एआरआर (ARR) में आयोग द्वारा निर्धारित राजस्व अधिशेष (Surplus) को ध्यान में रखते हुए इसे अस्वीकृत कर सभी उपभोक्ता श्रेणियों हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए विद्युत दरों को कम करने का निर्णय लिया गया है।

   वितरण कंपनियों के प्रस्ताव पर मीटर रहित स्ट्रीट लाइटों के लिए निर्धारित शुल्क को वर्तमान ₹ 7500/KW/प्रतिमाह से घटाकर ₹4250/ KW/ प्रतिमाह करने का आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है।

II. आयोग ने वितरण कंपनियों के प्रस्ताव पर HTSS-132kV/220kV, HTIS-400kV और HTS-400kV की नई उपभेक्ता श्रेणी सृजित की है।

III. आयोग ने ऑक्सीजन गैस निर्माताओं के लिए लोड फैक्टर प्रोत्साहन की सीमा को मौजूदा 75% से घटाकर 70% कर दिया है।

IV. आयोग ने बिजली (उपभेक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2023 के अनुरूप कतिपय श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ के टीओडी संरचना को संशोधित किया है।

V. NDS एवं IAS-I श्रेणी हेतु वर्तमान KWh के स्थान पर KVAh आधरित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए वितरण कंपनियों का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है।

VI. विपत्रीकरण(Billing) के लिए न्यूनतम अनुबंध मांग को मौजूदा 75% से बढ़ाकर 85% करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है।

VII. HTSS श्रेणी के उपभोक्तओं हेतु ''लोड फैक्टर इन्सेन्टिभ'' को वापस लेने के प्रस्ताव को स्वीकार नही किया गया है।

VIII. वर्तमान में ऑनलाईन माध्यम से बिल भुगतान हेतु प्रोत्साहन के लिए विपत्रीकृत राशि का 1% छूट दी जा रही थी। वितरण कंपनी ने इस छूट की अधिकतम सीमा ₹ 20,000/– करने का प्रस्ताव दिया था जिसे स्वीकार नहीं किया गया है।

IX. सरकारी विभागों/प्रतिष्ठानों/स्थानीय निकायों के लिए बिलों के भुगतान की नियत तिथि में परिवर्तन के प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए इसे अन्य सभी उपभोक्ताओं के समरूप रखा गया है।

X. वितरण कंपनियों द्वारा होमस्टे आधिष्ठानों को घरेलू श्रेणी के दरों पर विपत्रीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है।

XI. कृषि उपभेक्ताओं के लिए फसल कटाई के चक्र के अनुसार विपत्रीकरण को तर्कसंगत बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकार किया गया है।

यह टैरिफ आदेश दिनांक 01.04.2024 से लागू होगा तथा 31.03.2025 या आयोग द्वारा अगला टैरिफ आदेश निर्गत होने तक प्रभावी रहेगा।

*****